रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 2, 2007/कार्तिक 11, 1929
No. 217] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 2, 2007/KARTIKA 11, 1929

मणिपुर विश्वविद्यालय

अधिसूचना

इम्फाल, 30 अक्तूबर, 2007

अध्यादेश–ए-1

विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु

मणिपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 की धारा 31(1) खण्ड (ए) के अधीन

I. प्रवेश के लिए सामान्य योग्यताएँ

सं. एम यू/1–10/2006.—विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए कोई भी व्यक्ति योग्य नहीं होगा, बशर्ते कि उसे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली की 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होता, अथवा विद्या परिषद्, द्वारा समस-समय पर इसकी समकक्षता की मान्यता प्रदत्त परीक्षा उत्तीर्ण न हो और अध्यादेश द्वारा निर्धारित ऐसी ही योग्यताएँ न हों ।

परन्तु उपर्युक्त निर्धारित न्यूनतम योग्यताएँ सिविल, वैद्युत, यांत्रिक इंजीनियरी एवं फार्मेसी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थियों के साथ लागू नहीं होंगी ।

2. कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए योग्य नहीं होगा, जब कि प्रवेश के समय अक्टूबर के प्रथम दिन के पहले उसकी आयु 17 वर्ष की न होगी या प्रथम वर्ष स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों, एल.एल.बी., बी.एड. पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय वह 20 वर्ष का न होगा, या यदि वह एम. फिल पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय 22 वर्ष का न होगा ।

परन्तु कुलपति द्वारा व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार, आयु में अधिकतम एक वर्ष की छूट दी जा सकती है ।

3. कोई भी व्यक्ति जो पहले से ही विश्वविद्यालय का सदस्य नहीं है, तो जब तक विश्वविद्यालय की डिग्री परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होगी, तब तक किसी भी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा ।

4. विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु प्रवेश चाहता है तो अभ्यर्थी को इस संबंध में निर्मित नियमों और शर्तों को पूरा करना होगा ।

5. किसी अन्य अध्यादेश में कुछ भी समाविष्ट होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति नैतिक चरित्रहीनता संबंधी अपराध में दोषी पाया गया हो तो उसे किसी भी अध्ययन-पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा या उस पर लागू किए गए दंडादेश की अंतिम तारीख से दो वर्ष के समय बीतने तक विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में उसे शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी । फिर भी विशेष परिस्थिति में विद्या परिषद् द्वारा किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दिया जा सकता है ।

II. प्रवेश

1. कला/विज्ञान/वाणिज्य/कम्प्यूटर अनुप्रयोग/पुस्तकालय तथा सूचना-विज्ञान में परास्नातक डिग्री :

इसके लिए विश्वविद्यालय-प्रवेश-समिति होगी, जिसमें अध्ययन-संकाय के अधिष्ठातागण, विद्यार्थियों का अधिष्ठाता तथा सभी विभागाध्यक्ष होंगे । समिति पात्रता की योग्यता का मानदण्ड और चयन-रीति का निर्णय करेगी ।

2. कला/विज्ञान/वाणिज्य/ललित कला/शिक्षा-शास्त्र/विधि में स्नातक, शिक्षा-शास्त्र/विधि में परास्नातक तथा व्यावसायिक प्रबंध/कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा :

उपर्युक्त पाठ्यक्रमों के लिए संबद्ध महाविद्यालय/संस्था में प्रवेश हेतु महाविद्यालय/संस्था की एक प्रवेश-समिति का गठन होगा, जिसका अध्यक्ष प्राचार्य/निदेशक होगा ।

3. व्यावसायिक प्रशासन में परास्नातक (MBA)

उपर्युक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा द्वारा होगा ।

4. इंजीनियरी स्नातक :

उपर्युक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम 50% सीट अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा द्वारा होगा ।

5. चिकित्सा-विज्ञान :

चिकित्सा-विज्ञान के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) का प्रतिमानक लागू होगा ।

6. मास्टर ऑफ फिलोसोफी तथा डॉक्टर ऑफ फिलोसोफी :

विश्वविद्यालय के एम. फिल. और पी-एच.डी. के कार्यक्रम में प्रवेश, प्रवेश-परीक्षा के द्वारा होगा ।

अध्यादेश—ए-2

डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्रों के लिए

मणिपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 की धारा 6(i) तथा (ii) के अधीन

निम्नलिखित डिग्रियों, डिप्लोमाओं तथा प्रमाण-पत्रों को परिस्थितियों के अनुरूप समय-समय पर हर विषय के बारे में अध्यादेश द्वारा निर्मित किया जा सकता है या नहीं तो यदि आवश्यक हो तो प्रत्येक विषय के बारे में अध्यादेशों और नियमों के प्रावधान के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा निर्णय किया जाएगा :

(i) मास्टर ऑफ फिलोसोफी, डॉक्टर ऑफ फिलोसोफी, डॉक्टर ऑफ साइन्स, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर तथा डॉक्टर ऑफ लॉ का अनुसंधान डिग्री ।

(ii) कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि, प्रबंध-अध्ययन, फार्माकोलॉजी, आयुर्विज्ञान[1], इंजीनियरी और ऐसे अन्य क्षेत्रों के विषयों में परास्नातक-उपाधि, जो विद्या परिषद् द्वारा समय-समय पर अनुमोदित हो ।

(iii) कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि, प्रबंध-अध्ययन, आयुर्विज्ञान और इंजीनियरी तथा ऐसे ही अन्य क्षेत्रों के विषयों में स्नातक की उपाधि (जनरल और ऑनर्स), जो विद्या परिषद् द्वारा समय-समय पर अनुमोदित हो ।

(iv) शिक्षण या व्यावहारिक कौशलों की विशेष शाखाओं, जैसे कम्प्यूटर अनुप्रयोग, प्रबंध-अध्ययन, फार्माकोलॉजी, आयुर्विज्ञान[1] तथा इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा ।

(v) सिविल, यांत्रिक और वैद्युत् इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिकी, फार्माकोलॉजी तथा ऐसे अन्य क्षेत्रों के विषयों में डिप्लोमा, जो विद्या परिषद् द्वारा समय-समय पर अनुमोदित हों ।

(vi) विभिन्न भाषाओं और बोलियों में डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्र ।

(vii) कला, विज्ञान, वाणिज्य, कम्प्यूटर विज्ञान तथा अन्य पाठ्यक्रमों में प्रमाण-पत्र, जो विद्या परिषद् द्वारा समय-समय पर अनुमोदित हों ।

(viii) शिक्षण या व्यावहारिक कौशलों की विशेष शाखाओं, तकनीकी विषयों, विदेशी भाषाओं आदि में प्रमाण-पत्र, जो विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित हों ।

(ix) सम्मानी-उपाधियाँ ।

1. 'आयुर्विज्ञान' में चिकित्सा-विज्ञान की सभी शाखाएँ सम्मिलित हैं । आयुर्विज्ञान परास्नातक उपाधि में रूढ़िगत एम.डी. डिग्री सम्मिलित है ।

प्रो. एन. लोकेन्द्र सिंह, रजिस्ट्रार

[विज्ञापन-III/IV/असा./237/07]

MANIPUR UNIVERSITY

NOTIFICATION

Imphal, the 30th October, 2007

ORDINANCE—A-1

ON

ADMISSION TO THE UNIVERSITY

UNDER SECTION 31(1) CLAUSE (A) OF MANIPUR UNIVERSITY ACT, 2005

I. General Qualifications for Admission

No. MU/1-10/2006.—Subject as hereinafter provided no person shall be eligible for admission to the university unless he has passed the 10+2 examination of the Central Board of Secondary Education, New Delhi, or an examination recognised as equivalent to it by the Academic Council, from time to time, and possesses such further qualifications as may be prescribed by the Ordinances :

Provided that the minimum qualifications prescribed above may not apply in case of candidates seeking admission to the Diploma courses in Civil, Electrical, Mechanical Engineering and Pharmacy.

2. No person shall qualify for admission to the university unless before the first day of October in the year in which he seeks admission, he is seventeen years of age or if he seeks admission to the first year of Postgraduate Degree/ Diploma Courses, LL. B. B. Ed. courses he is twenty years of age, or if he seeks admission to M Phil Course he is twenty-two years of age :

Provided that the Vice-Chancellor may, on the basis of individual merits, relax the age limit up to a maximum period of one year.

3. No person not already being a member of the university shall be admitted to any postgraduate course unless he has passed an examination recognised as equivalent to a degree examination of the university.

4. The candidates seeking admission to a course of study in the university must satisfy the rules and conditions made in this behalf.

5. Notwithstanding anything contained in any other Ordinance, no person who has been convicted of an offence involving moral turpitude shall be admitted to a course of study or permitted to take any examination of the university until a period of two years has elapsed from the date of expiry of the sentence imposed on him. However, the Academic Council may, in a special case exempt any person from the operation of this Rule.

II. Admission

1. Master of Arts/Science/Commerce/Computer Applications/Library and Information Science :

There shall be a University Admission Committee consisting of the Deans of Schools of Studies, Dean of Students, and the respective Heads of Departments. The Committee shall decide the eligibility criteria and modalities for selection.

2. Bachelor of Arts/Science/Commerce/Fine Art/Education/Law, Master of Education/Law and Postgraduate Diploma in Business Management/Computer Applications

For admission into the above courses in an affiliated college/institute, there shall be an Admission Committee to be constituted by the college/institute with the Principal/Director as the Chairperson.

3. Master of Business Administration

Admission into the above course shall be through all India admission test.

4. Bachelor of Engineering

For admission into the above course, at least 50% of the seats shall be through All India admission test.

5. Medical Sciences

For admission into various courses in medical sciences, Medical Council of India's norms shall be applied.

6. Master of Philosophy and Doctor of Philosophy

Admission into the M Phil and Ph D programmes of the university shall be made through admission tests.

ORDINANCE—A-2

ON

THE DEGREES, DIPLOMAS AND CERTIFICATES UNDER SECTION 6(I) AND (II) OF THE MANIPUR UNIVERSITY ACT, 2005

The following Degrees, Diplomas and Certificates in accordance with the conditions, which may be laid down from time to time in each case by an Ordinance or otherwise, will be awarded by the university in accordance with the provisions of the Ordinances and Regulations, if any, in each case :

(i) Research degree of Master of Philosophy, Doctor of Philosophy, Doctor of Science, Doctor of Literature and Doctor of Law.

(ii) Master's degree in Arts, Science, Commerce, Law, Management Studies, Pharmacology, Medicine[1], Engineering and such other fields as may be approved by the Academic Council from time to time.

(iii) Bachelor's degree (General and Honours) in Arts, Science, Commerce, Law, Management Studies, Medicine and Engineering and such other fields as approved by the Academic Council from time to time.

(iv) Postgraduate Diploma in special branches of learning or practical skills like Computer Application, Management Studies, Pharmacology, Medicine[1], and Engineering.

(v) Diplomas in Civil, Mechanical and Electrical Engineering, Electronics, Pharmacology and such other fields as may be approved by the Academic Council from time to time.

(vi) Diplomas and Certificates in various languages and dialects.

(vii) Certificates in Arts, Science, Commerce, Computer Science and other courses which may be approved by the Academic Council from time to time.

(viii) Certificates in special branches of learning or practical skills, technical subjects, foreign languages, etc., as approved by the Academic Council.

(ix) Honorary Degrees.

[1] "Medicine" includes all branches of Medical Science. Master's degree in Medicine includes the conventional MD Degree.

Prof. N. LOKENDRA SINGH, Registrar

[ADVT. III/IV/Exty./237/07]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.